**संख्या-122/2023/।/294217/2023/23-11002(002)/24/2021**

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11** **लखनऊ: दिनांक 27/03/2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-1162/लेखा/बजट/2022-23/उपशा/लखनऊ, दिनांक 09-03-2023 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-143/2022/1339ई/23-11-2022/002-668ई-2011, दिनांक 22-09-2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 80.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 60.00 लाख में से रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिए गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपॉजिट खाते में न रखी जाय एवं उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स व संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग के आदेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(4) आहरण/व्यय की सूचना उ0प्र0 शासन तथा महालेखाकार (राजकोष/लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 40,00,000(रूपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 3054038000301 राज्य मार्गो का अनुरक्षण मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-805-दस-2022-23, दिनांक 23 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in